संधारणीय विकास एवं ग्रामीण महिलाएं

सुशमा पेंढ़ारकर
प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय महाविद्यालय
बरगी, जबलपुर

सारांश

संधारणीय (Sustainable) की अवधारणा में न केवल वर्तमान बल्कि अनन्तकाल तक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होना सुनिश्चित होता है। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है अर्थात् पर्यावरण को हानि पहचाए बिना प्राकृतिक पदार्थों आर ऊर्जा का उपयोग करना ही संधारणी; (Sustainable) है। संधारणीय समय तक बनाए रखने पर आधारित है। यदि प्रगति को निर्धारित करने में केवल पूंजी निवेश करने को महत्व दिया जाता है तब संधारणीय विकास, वृद्धि एवं विकास की कूंजी, पर्यावरण एवं मानवीय विकास है, इस और ध्यान आकृष्ट करता है। सिर्फ संधारणीय (Sustainable) विकास ही आर्थिक, मानवीय एवं पर्यावरणीय संपत्ति पर निवेश की दीर्घावधि उपलब्धि है। इस परिपेक्ष्य में मानवीय प्रयासों में महिलाओं का हस्तक्षेप सर्वोपरि सिद्ध होता है।

अभी तक विकास के क्षेत्र में विश्व की आधी आबादी का हिस्सा महिलाओं का अवमूल्यन किया गया। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में प्रगति एवं पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं के गुणों एवं क्षमताओं के योगदान को हाशिए पर रखा गया। वास्तव में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए निर्धनता को कम करने के लिये एवं बेहतर सामाजिक जीवन के लिए संधारणीय विकास के लिये महिला आबादी का अच्छा उपयोग किया जा सकता है।

ग्रामीण समुदाय की महिलाओं की क्षमताओं एवं गुणों का संधारणीय (Sustainable) विकास के लिए उपयोग किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण महिलाएं परिवार की आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का कन्द्र होती है। वे परिवार की आर्थिक व्यवस्था के लिए शारीरिक श्रम के साथ–साथ प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित सम्पदाओं का दोहन भी करती है। ग्रामीण समुदाय से जुड़ी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्परागत व्यवहारों क परिपालन में प्रकृति का महत्व स्पष्ट होता है किन्तु उसके संरक्षण के परिपालन में किए जाने वाले कार्यों के विषय में जागरूकता का अभाव पर्यावरण संरक्षण की अभिव्यक्ति विकसित नहीं करता परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय में प्रकृति का दोहन भरपूर होता है साथ ही प्रदूषण की स्थिति भी बढ़ती है। आज आवश्यकता है शिक्षा एवं समुदायिक सहभागिता के द्वारा महिलाओं में विकास करके उन्हे संधारणीय (Sustainable) विकास में सम्मिलित किया जाए। ताकि उनकी क्षमताओं का उपयोग किया जा सके।

मुख्य शब्द : ग्रामीण पर्यावरण, साझा भविष्य, बहुक्षेत्रीय आयाम, श्रमबाजा

प्रस्तावना

"We cannot have a ecological movement designed to prevent violence against nature. unless the Principle of nonvialence becomes central to the ethics of human culture" (Mahatma Gandhi)

विकास एक सापेक्षिक शब्द है। देशकाल एवं परिस्थिति के अनुसार इसकी प्रकृति नवीन, सामान्य एावं औचित्यात्मक कारकों पर आधारित होती है, डॉ. योगेन्द्र सिंह के अनुसार ''समाज के सदस्यों में वांछनीय दिशा में नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते हैं। अतः विकास की धारणा सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक समाज में भिन्न पायी जाती है।''[1] विकास एक समिश्र एवं मूल्य प्रधान अवधारणा है। गुन्नार मिर्डल के अनुसार ''विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में उन अनेक अवांछनीय अवस्थाओं का सुधार करना है जिनके कारण अल्पविकास की स्थिति बनी हुई है।''[2] वास्तव में विकास एक संयुक्त प्रघटना है क्योंकि इसमें मानव जीवन के सभी पहलू शामिल हो जाने हैं।

समाज के लिए क्या अच्छा एवं वांछनीय है यह इतिहास के प्रत्येक युग में देखा गया है। वर्तमान में विकास के कार्यकलाप और हाल ही के संधारणीय विकास इस वैश्विक दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करते हैं। संधारणीय

की अवधारणा में न केवल वर्तमान बल्कि अनन्तकाल तक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होना सुनिश्चित होता है। इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है अर्थात् पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना प्राकृतिक पदार्थों और ऊर्जा का उपयोग करना ही संधारणीय (Sustainable) है। संधारणीय विकास आर्थिक, सामाजिक, परिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक संपदा को लम्बी अवधि तक बनाए रखने पर आधारित है। प्रगति को निर्धारित करते समय यदि पूंजी निवेश करने को महत्व दिया जाता है तब संधारणीय विकास वृद्धि एवं विकास की कुंजी के रूप में पर्यावरणीय एवं मानवीय विकास की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। केवल संधारणीय विकास ही आर्थिक, मानवीय एवं पर्यावरण संपत्ति पर निवेश की दीर्घावधि उपलब्धि है।

पर्यावरण गम्भीर वैश्विक मुद्दे के रूप में 1972 में स्टॉकहोम में UNO क अधिवेशन में उत्पन्न हुआ। Barbara Ward and Rene Dubos की पुस्तक “Only one earth” जो अधिवेशन के लिए लिखी गयी थी, में पर्यावरणीय एवं विकास के संदर्भ में वैश्विक संबंधों को प्रतिबिम्बित किया गया है। पर्यावरण ह्रास के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए यू.एन. एन्व्हीरॉनमेंट प्रोग्राम (UNEP) ने (WCED) को स्थापित किया इसकी अध्यक्षकता नार्वे के पूर्व प्रधानमंत्री प्रो. हारलेम ब्रुंडलैंड ने की जिसे ब्रुंडलैंड आयोग के नाम से जाना जाता है एवं ''परिवर्तन के लिए वैश्विक विचारणीय विषयों की सूची'' (Global agenda for change) इसका मूल सूत्र रहा है। इसमें गंभीर पर्यावरणीय एवं विकास के मुद्दे पर यथार्थ समाधान एवं सुझाव दिए गए हैं। ब्रुंडलैंड आयोग की रिपोर्ट ''साझा भविष्य'' अप्रेल 1959 में प्रकाशित हुई। ''विकास जो विद्यमान आवश्यकताओं को प्राप्त करता है वह भविश्यत पीढ़ी की आवश्यकताओं को प्राप्त करने की क्षमताओं से समझौता करके प्राप्त नहों किया जा सकता।'' यह साझा भविष्य का प्रमुख उद्देश्य है। संधारणीय विकास की प्रमुख विशेषताऐं जिनके द्वारा भविष्यत पीढ़ी की आवश्यकताओं को सुरक्षित रखा सकता है उनमें प्रमुख हैः–

पर्यावरण की विचार दृष्टि

विकास के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण से प्रतिपूरित होने वाले संसाधनों का उपयोग करते समय नष्ट न होने के प्रति यानि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति प्रयास महत्वपूर्ण है।

ग्रह की सीमा

पृथ्वी में उपलब्ध संसाधनों की प्रचुरता एवं उसके उपयोग एवं उपभोग की सीमाओं का निर्धारण करना प्रमुख रूप में सम्मिलित हैं।

बहुक्षेत्रीय आयाम

समाज में आर्थिक, सामाजिक (शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य) राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न पहलुओं से संबंधित विकास जो विद्यमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के साथ तालमेल बना सके विकास के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण होता है।

तकनीकी क्ंजो

प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसकी भूमिका संधारणीय विकास का और पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को रोकने के लिए हो। ताकि भविष्य में आवश्यकताओं को पूर्ण करने की संभावनाऐं बढ़ती रहें।

समानता के लिए सम्बद्ध होना

विकास के परिप्रेक्ष्य में समाज के समस्त क्षेत्रों में लिंग, आयु वर्ग आदि आधार पर समानता वादी दृष्टिकोण विकसित करना। समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास से प्रभावित हो।

दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य

पर्यावरण से जुड़े विकास के परिप्रेक्ष्य में वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पर्यावरण सरंक्षण के प्रति क्रियाकलाप तात्कालिक उद्देश्यों तक सीमित न होकर दीर्घअवधि के प्रतिफल के रूप में होना।

सभी स्तरों पर वैश्विक विकल्प

इस परिप्रेक्ष्य मे पर्यावरण संरक्षण के प्रति किए जाने वाले क्रियाकलाप एवं इससे संबंधित सुविधाऐं तथा जागरूकता उत्पन्न करने वाले संसाधनों को जिसमें पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है, के प्रति समय–समय पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने का कार्य सरकार के अलावा अन्य सहयोगी सामाजिक संख्याओं द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें NGO's एवं DCO आदि प्रदाय हैं।

प्रस्तुत लेख का उद्देश्य संधारणीय विकास के चार प्रमुख आयाम आर्थिक, सामाजिक, परिस्थितिकी एवं सांस्कृतिक मानक को बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका के प्रति समझ विकसित करना है। संधारणीय विकास के विभिन्न पहलुओं को महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में खोज करने पर यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं का स्थान आर्थिक मूल्य पर निरतर अन्तराल को स्पष्ट करता है। साथ ही महिलाऐं किस प्रकार वर्तमान यथार्थता को समझती हैं एवं भविष्यत पीढ़ी की आवश्यकताओं के विकास की रणनीति बनाने में कैसे योगदान दे सकती हैं? इस तथ्य को भी अस्वीकार किया गया है। अभी तक विकास के क्षेत्रों में विश्व की आधी आबादी का हिस्सा महिलाओं का अवमूल्यन किया गया। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में प्रगति एवं पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं के गुणों एवं क्षमताओं को तथा उनके योगदान को हाशिए पर सखा गया। वास्तव में आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए, निर्धनता को कम करने के लिए, बेहतर सामाजिक जीवन के लिए संधारणीय विकास के लिए महिला आबादी का अच्छा उपयोग किया जा सकता है।

ग्रामीण समुदाय की महिलाओं की क्षमताओं एवं गुणों का उपयोग संधारणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण महिलायें परिवार की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का केन्द्र होती है वे परिवार की आर्थिक व्यवस्था के लिए शारीरिक श्रम के साथ–साथ प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित संपदाओं का दोहन भी करती हैं। ग्रामीण समुदाय से जुड़ी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्परागत व्यवहारों के परिपालन में प्रकृति का महत्व स्पष्ट होता है किन्तु उनके संरक्षण के प्रति किए जाने वाले क्रिया कलाप के विषय में जागरूकता का अभाव पर्यावरण संरक्षण की अभिवृत्ति विकसित नहीं करता। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय में प्रकृति का दोहन भरपूर होता है साथ ही प्रदूषण की स्थिति भी बढ़ती है। अतः महिलाओं का विशेषतः ग्रामीण महिलाओं

का संधारणीय विकास में योगदान किस प्रकार उचित तरीके से हो इस परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित आयामों को समझा जा सकता है।

महिला एवं आर्थिक वृद्धि

राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर संधारणीय आर्थिक वृद्धि महिलाओं की श्रम शक्ति, उनकी क्षमताओं एवं कुशलताओं के पूर्ण उपयोग पर आधारित है। सभी देशों में श्रम शक्ति में महिलाओं की सहभागिता का अनुपात महत्वपूर्ण रूप से पुरूषों से कम है। यद्यपि श्रम शक्ति सहभागिता का अर्थ पूर्णकालिक कार्य से नहीं है। महिला एवं पुरूषों में पूर्णकालिक कार्य में औसत अन्तर पाया जाता है। महिलाओं के घरेलू कार्यों का भी अवमूल्यन होता है। महिलाऐं वृहत घरेलू कर्त्तव्य को अवैतनिक पूर्ण करती हैं इसके बावजूद वे श्रम शक्ति का काम करती हैं। यदि राष्ट्रीय उत्तरदायित्व में घरेलू कार्य एवं बच्चों के देखभाल के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है तब सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं का प्राक्कलन आधे से भी अधिक उत्तरदायित्व के रूप में होना चाहिए। किन्तु शासकीय सांख्यिकी में महिलाओं के कार्य को अवित्तीय गतिविधि के अन्तर्गत भी प्रतिबिम्बित नहीं किया जाता। घरेलू उत्तरदायित्व एवं बच्चों की देखभाल के कार्य से महिलाऐं कार्यस्थल पर होने वाले लाभ से वंचित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कार्यों का बहुत बड़ा भाग अपारिश्रमिक होता है उनका प्रमुख समय घर की व्यवस्था में व बच्चों की देखभाल में जाता है। महिलाऐं एक दिन में लगभग पांच घंटे से ज्यादा ईधन एवं जलसंग्रह करने में व्यतीत करती हैं एवं चार घंटे भोजन तैयार करने में। घरेल् कार्य में व्यतीत समय के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं के लिए समय नहीं मिल पाता। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाऐं कृषि एवं निर्माण कार्य में श्रमिक होती है। ऐसी महिलायें उनके कार्य के अधिकारों के प्रति अजागरूक होती है। परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक उन्नति प्रभावित होती है। ग्रामीण समुदाय की महिलाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाना इस परिप्रेक्ष्य में लाभदायक होगा साथ ही सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा उन बाधाओं को दूर किया जा सकता है जो महिलाओं की श्रम शक्ति से प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में उत्पन्न होती हैं। शिशु देर प्रभाव ग्रह की सुविधाओं को बढ़ाना आर्थिक सहायता तथा जनहित में रूचि रखने वालों के द्वारा इन कार्यों की नियमित जांच की जाये। इन व्यवस्थाओं से सरकार महिलाओं को कार्य करने के लिए प्रभावित प्रयास कर सकती है।

निर्धनता उन्मूलन में महिलायें

1972 में स्टॉक होम में मानवीय पर्यावरण पर यूनाईटेड नेशन्स कान्फ्रेंस में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने उद्‌बोधन में निर्धनता एवं अप्राप्त आवश्यकताओं को प्रदूषण का सबसे बुरा प्रकार माना है। आज यह अनुभव किया जा रहा है कि यदि पर्यावरण की अनदेखी की गई तो निर्धनता का उन्मूलन नहों किया जा सकेगा। विज्ञान यह प्रदर्शित करता है कि हम असंधारणोय कीमत पर प्राकृतिक संपदा को नष्ट कर रहे हैं। निर्धनता पर्यावरण पर निर्भरता बढ़ाती है। पर्यावरणीय निर्भरता मरूस्थल बढ़ते हैं, जल का अभाव बढता है, वन कम होते हैं आदि। प्राकृतिक परिवर्तन जो मानवीय गलत क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप हो रहे हैं इनमें आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। निर्धनता को समाप्त करने से पर्यावरण पर निर्भरता कम होगी एवं पर्यावरणीय संपदा का संरक्षण होगा। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का अधिक समय घरेलू कार्यों एवं व्यवस्थाओं को जुटाने में जाता है। ईधन के लिए प्रकृति पर बढ़ती निर्भरता पर्यारण पर दूषित प्रभाव डालती हैं किन्तु इस परिप्रेक्ष्य में अनभिज्ञता पर्यावरण के संरक्षण के महत्व को समाप्त करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें आर्थिक प्रगति के लिए कृषि एवं निर्माण कार्यों में श्रमिक होती है। कम श्रम मूल्य बाजार में श्रम के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने में असमर्थता आदि कारकों से महिलाओं की श्रम शक्ति का सही उपयोग नहीं होता। इस परिप्रेक्ष्य में लैंगिक असमानता प्रमुख कारक है। लिंग अनुपात के अन्तर को बढ़ाता है। लिंग अनुपात में अंतराल का पैमाना (आर्थिक, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं राजनीतिक शक्ति, स्वतंत्रता आदि) एवं प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद के बीच सहसबंध स्पष्ट करता है। ग्रामीण महिलाओं में पूंजी व्यय करने की स्वतंत्रता का अभाव एवं निर्णय लेने की शक्ति एवं परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य यहां तक कि स्वयं के प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति भी नहीं होती। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक परम्परायें, प्रथाऐं एवं सामाजिक आदर्श भी इस संदर्भ में लिंग असमानता को बढ़ाते हैं।

विकास में सहयोगी महिलाओं को प्राथमिकता देने से निर्धनता के विरूद्ध अधिक से अधिक आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। अपने घरेलू कल्याण कार्यों में, वैतनिक अथवा अवैतनिक कार्यों में किसी भी रूप में महिलाऐं निर्धनता उन्मूलन में प्रमुख होती ह। ग्रामीण महिलाओं में आर्थिक उन्नति एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भरता के दुष्कर कार्यों से रोकने के सरकारी एवं निजी स्तर पर लम्बे समय के कार्यक्रम होना आवश्यक है जो निर्धनता उन्मूलन के परिप्रेक्ष्य में है।

समाज एवं महिलाय

प्रगतिशील समाज को संरचनात्मक व्यवस्था में पुरूष एवं महिलाओं का जनसंख्यात्मक अनुपात महत्वपूर्ण स्थान रखता है, समाज की स्तरीकृत व्यवस्था में पुरूष एवं महिलाओं की प्रस्थिति उनके श्रेणीगत व्यवहार को स्पष्ट करते हैं जो विभिन्न सामाजिक व्यवहार प्रतिमानों, मूल्यों, प्रथाओं एवं परम्पराओं से प्रभावित होते हैं। समाज में लिंग आधारित असमानता के लिए उत्तरदायी यह तत्व वास्तव में व्यक्ति की कुशलताओं व क्षमताओं को अवरूद्ध करते हैं। महिलओं के लिए पूर्व आधारित प्रस्थिति एवं भूमिका उनके दोयम दर्जे का कारण होती है। वास्तव में महिलाओं को परूषों के समरूप ही शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास के समान अवसरों का मिलना सामाजिक विकास का परिचायक है। शिक्षा आर्थिक विकास का ईंजन कहलाती है। किसी भी समाज में महिला शिक्षा पर निवेश महिला उत्पादकता, परिवार एवं बच्चों की अच्छी स्थिति म प्रभावी होता है। शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के प्रति समझा विकसित करती है जो अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास में सहयोगी होकर निर्धनता

उन्मूलन में सहायक होती है। आर्थिक विकास को गति देने के लिए एवं निर्धनता के उन्मूलन के लिए कम से कम प्राथमिक एवं सेकेन्डरी स्तर की शिक्षा आवश्यक है। साथ ही परम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें उनका अर्थव्यवस्था एवं समाज में योगदान प्रतिबिम्बित हो सके।

स्वस्थ्य

ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों में विशेषतः महिलाओं पर घरेलू उत्तरदायित्व एवं समय–समय पर होन वाली बीमारियों का दोहरा भार होता है। जैसे पेचिश, मलेरिया आदि अनेक बीमारियां जो असुरक्षित जल एवं दूषित पर्यावरण से उत्पन्न होती हैं इस पर अभी तक नियंत्रण नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र आधुनिक बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। सुरक्षित पेय जल एवं स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। ग्रामीण महिलायें स्वास्थ्य सुविधायें विशेषकर प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सुविधाओं से प्रायः वंचित रह जाती हैं इसके प्रति उदासीनता, अज्ञानता एवं सामाजिक परम्परागत व्यवस्थायें कारणीभूत हैं। महिलाओं मे स्वास्थ्य से संबंधित समानता एवं स्वतंत्रता की जागरूकता विकसित करने के साथ ही स्वास्थ्य नियोजन का प्रारूप बनाने में जीवशास्त्रीय एवं सामाजिक आधार पर लिंग आधारित व्यवस्था का ध्यान रखना होगा जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश व्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य शिक्षा, एवं स्वास्थ्य नीतियां आदि प्रोग्राम को बढ़ाना तथा इस परिप्रेक्ष्य में व्यय का प्रभाव लैंगिक आयाम पर आधारित होना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने एवं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से उच्च प्राथमिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति का विकास करने के लिए स्वास्थ्यकर परिस्थितियों का निर्धारण करना आवश्यक है।

प्रवासिता

वर्तमान में प्रवासिता आर्थिक उन्नति का प्रमुख आधार है। महिलाओं में पुरूषों की तुलना में प्रवासिता कम पायी जाती है। प्रवासी महिलायें लिंग स्तरीकृत बाजार में कम कुशल एवं अधिक कुशल कार्य का सामना करती हैं। अकुशल अथवा कम कुशल महिलायें कम संख्या में कोई पेशा प्राप्त कर पाती हैं। उनके प्राप्त कार्यों में घरों में सफाई का कार्य, बर्तनों की सफाई का कार्य आदि सम्मिलित है। महिलाओं में प्रवासिता के कम होने का मूल कारण अशिक्षा, अकुशलता, घरेलू उत्तरदायित्व असुरक्षा आदि प्रमुख है।

परिस्थितिकी एवं महिलायें

ग्रामीण समुदाय प्रकृति की निकटता एवं सम्बद्धता को स्पष्ट करता है तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपभोग करता है प्राकृतिक वस्तुओं की दोहन ईंधन के रूप में होता है। परिणामस्वरूप तीव्रगति से जंगल में पेड़ों की कमी होती है जो परिस्थितिकीय असन्तुलन का कारण बनती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्तावादी संस्कृति की प्रभावशीलता के कारण पर्यावरण प्रदूषण की स्थितियां भी बढ़ रही हैं जिसे शिक्षा एवं जन जागरूकता के द्वारा निरूत्साहित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा, अजागरूकता एवं पर्यावरणीय सुरक्षा के प्रति उदासीनता आदि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण निवारण की स्थिति को विकसित नहीं करते। परिवार में महिलाओं के द्वारा संतुलित व्यवस्था से पर्यावरणीय संपदा को बनाये रखने की स्थिति विकसित की जा सकती है। वास्तव में परिवार में यदि महिला शिक्षित व जागरूक है तो पूरा परिवार इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। अतः यह जरूरी है कि परिवार में महिलाओं को परिस्थितिकीय संतुलन के प्रति जागरूक किया जाये एवं उन तकनीकी को बढ़ावा दिया जाये जो संधारणीय हैं। अधिकांश परम्परागत प्रयास जो संधारणीय एवं पर्यावरणीय अनुकूल हैं उन्हे बढ़ावा देना आवश्यक है, बजाय आधुनिक अथवा असंधारणीय तकनीक के। ऐसी नयी तकनीकी ढूंढे जो पर्यावरणीय संसाधन के बार–बार दोहन की समस्या का निदान करे साथ ही स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी संबंधित होना चाहिए। ग्रामीण महिलायें प्रकृति से ईंधन की व्यवस्था के लिए पेड़ों की कटाई करती है एवं उनका संग्रह भी करती हैं। वृक्षो की क्षति को पूर्व किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में वर्षा ऋतु में एवं अन्य ऋतुओं के अनुकूल वृक्षारोपण करने का नेक कार्य किए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए साथ ही इस परिप्रेक्ष्य में जन जागरूकता विशेषतः महिलाओं में जागरूकता का होना आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं में उपयोगी एवं शुभ वृक्षों की महतता उनके वृक्षारोपण के कार्य से बढ़ सकती है एवं पयावरण की सुरक्षा भी हो सकती है।

संस्कृति एवं संधारणीय विकास

20 वर्ष पूर्व पर्यावरणीय संदर्भ में संस्कृति की ओर ध्यान नहीं दिया गया। किन्तु आज लगभग सभी देश संस्कृति क आयाम को महत्व दे रहे हैं। पर्यावरण एवं विकास के संबंध में ब्रुंडलैंड की रिपोर्ट में आवश्यकताओं की प्राप्ति'' के उद्देश्य में समाज एवं संस्कृति का बड़ा हिस्सा परिभाषित नहीं था। संधारणीय विकास की अवधारणा में संस्कृति महत्वपूर्ण आयाम के रूप में निरंतर शामिल हो रही है। Gaoxian के दृष्टिकोण से संधारणीय विश्व राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं परिस्थिति की संधारण के वैश्विक विकास से संबंधित है और इन सबमें संस्कृति प्रमुख घटक है क्योंकि संस्कृति कार्य के प्रति निष्ठा, शिष्टाचार एवं तादाम्य का प्रारूप को पदान करती हैं। विशेषतः नए वैश्विक संदर्भ में महत्वपूर्ण रूप से संधारणीय विकास के लिए सम्मिलित चालक के मूल्य को विकसित करती है।

प्रत्येक समुदाय की एक जीवन जीने की प्रक्रिया होती है। उनकी आर्थिक, सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की पद्धतियां पर्यावरणीय व्यवस्थाओं पर आधारित होती है। विशेषतः ग्रामीण समुदाय में प्रकृति का सान्निध्य आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार को स्पष्ट करता है। धार्मिक, सामाजिक एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में कर्मकाण्डीय व्यवहारों में पर्यावरणीय सम्पदा की उपयोगिता सिद्ध होती है। साथ ही दैनिक जीवन की आवश्यकताएं भी पर्यावरण पर निर्भरता को स्पष्ट करती है। इस समस्त सांस्कृतिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय होती है।

आज आवश्यकता है प्रत्येक सामान्य से सामान्य सन्दर्भों में पर्यावरण को सर्वोपरि रखा जाये। धार्मिक व सामाजिक साहित्य में, लोक कलाओं में, सार्वजनिक क्षेत्र में, जागरूकता उत्पन्न करने वाले माध्यमों में पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाये। वेदों में वर्णित पर्यावरणीय संदर्भों को सार्वजनिक एवं सामान्य तथा लोक भाषाओं में जन–जन तक पहुंचाया जाए ताकि प्रकृति से संबंधित समस्त वस्तुएं वृक्ष, नदी, तालाब, जीव जन्तु सभी का संरक्षण हो सके एव आने वाली पीढ़ी के लिये लम्बी अवधि तक समशनुकूल पर्यावरण विकसित हो सके।

ग्रामीण समुदाय में सांस्कृतिक आधार पर दिए जाने वाले अनेक सद्उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं क्योंकि आधुनिकता एवं उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव नगर की तुलना में बहुत कम है साथ ही ग्रामीणजनों में विषेशतः महिलाओं में इसका प्रभाव भावनात्मक रूप से पड़ेगा क्योंकि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य लाभ एवं समस्त आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के प्रति वे अधिक सजग होती है।

संधारणीय विकास के आर्थिक, सामाजिक, परिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक आयामो में महिला मानवीय पूंजी का उपयोग, करने के लिए सरकार के द्वारा अनेक व्यवस्थायें किया जाना आवश्यक है जैसेः–

1. देश का आर्थिक विकास हो ताकि पर्यावरण पर निर्भरता कम हो।
2. गरीबी का उन्मूलन हो।
3. जन्मदर में कमी लाना।
4. स्वास्थ्य के देखभाल के प्रति कार्यक्रम बनाना।
5. सभी नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की अनुकूल परिस्थिति हो।
6. असंधारणीय गतिविधियों से हुए पर्यावरणीय क्षति को कम करना।
7. महिलाओं की श्रम शक्ति को बढ़ाने के लिए परिवार अनुकूल नीतियां बनाना।
8. महिलाओं के आर्थिक भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार अनुकूल नीतियां बनाना।
9. पारम्परिक क्षेत्र में महिलाओं के कार्य की स्थिति एवं पारिश्रमिक को प्रोन्नत करना।
10. स्वास्थ्य सेवाओं का नियोजन एवं विकल्पों को लिंग आधारित बनाना।
11. समाज एवं श्रम बाजार में प्रवासी महिलाओं का अच्छा एकीकरण करना।
12. जनसंख्या में लिंग अनुपात सामान्य करने के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर कार्यक्रमों को बढ़ाना एवं प्रभावशाली बनाने के प्रयासों का समय–समय पर ध्यान रखना।
13. प्रशासनिक स्तर पर प्रत्येक विभागों में पर्यावरण की क्षति रोकने से संबंधित समस्त गतिविधियों को अनिवार्य किया जाये।
14. पर्यावरण संरक्षण सबंधी अधिनियमों को अधिक प्रभावशाली बनाना एवं दण्ड की समुचित व्यवस्थाओं को समान रूप से लागू करना।
15. ''आप अपनी सन्तान को विरासत में क्या देना चाहेंगे? स्वच्छ जल, शुद्ध वायु एवं अनुकूल वातावरण या इनकी कीमत पर मकान, सपंत्ति एवं धन। इन प्रश्नों को बार–बार सावजनिक क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक, अथवा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम व धार्मिक गतिविधियों के प्रधान, पुरोहित, गुरू के माध्यम से जन–जन तक पहुंचाया जाये।

संधारणीय विकास में राजनीतिक स्तर पर किए जाने वाले घोषणा एवं सरकारी कार्यक्रम एवं इनका क्रियान्वयन तथा पहल करने में सहभागिता का स्तर आदि विशेष मायने रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जल एवं स्वच्छता तथा ऊर्जा का संधारणीय उपयोग एवं उत्पादन करने का संकल्प लेना।

संदर्भ

1. संधारणीय विकास मुक्त ज्ञान विकियाडिया ।
2. Sutainable Development in Indiaiperspective www.moef.nic.in /division/ic/wssd/doc4/consul_book_pers.pdf
3. Strateyies for sustainable Development in india www.academia.edu/../stratgies_forsustainable_Development
4. tsUMj bDosfyVh ,UM lLVsuscy MsOgyisaV & ;w-ucweu www.unwomen,org/m/...../unwomen_surveyreport_advance_16oct.pdf.
5. अर्बन क्राइसेस–कल्चर एंड सस्टेनेबीलिटि ऑफ सीरिज M.Nadarujah and Anu Tomoko Yamamoto Rawat Publication Edistion -2007
6. के.एल. शर्मा रावत, भारतीय सामाजिक संरचना उवं परिवर्तन पब्लिकेशन जयपुर एवं नई दिल्ली, 2006